न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 06/24 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2024/17

उनवान

1. गोपाल उम्र 56 वर्ष
2. रंगलाल उम्र 54 वर्ष
3. रामवीर उम्र 52 वर्ष
4. रामलखन उम्र 35 वर्ष
5. रामनरेश उम्र 35 वर्ष

} पिसरान स्व0 सरवन जाति मीणा निवासी गढाखो तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

6. मुनेश उम्र 45 वर्ष पत्नी स्व0 हल्के पुत्र सरवन जााति मीणा निवासी गढाखो तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
7. सोनू उम्र 19 वर्ष पुत्र स्व0 हल्के पुत्र सरवन जाति मीणा निवासी गढाखो तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
8. छोटू उम्र 15 वर्ष पुंत्र स्व0 हल्के पुत्र सरवन नाबालिग व सरपरस्ती मॉ मुनेश पत्नी स्व0 हल्के जाति मीणा निवासी गढाखो तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भंवर पुत्र प्रभु
2. देवा पुत्र पूरन
3. देवीप्रसाद पुत्र पूरन
4. गौरा पुत्री पूरन
5. रामकुमार पुत्र कमला
6. कैलो पुत्र कमला
7. रामकेश पुत्र स्व0 ग्याराम
8. मुकेश पुत्र स्व0 ग्याराम
9. लखन बाई पत्नी ग्याराम

} जाति मीणा निवासी गढाखो तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा वहैसियत लैण्ड होल्डर जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी सरमथुरा दि0 01.11.2022 प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 21.03.2023 अंतिम डिक्री प्र.सं. 02/2022 उनवानी भॅवर बनाम देवा वगै0।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. श्री जय सिंह मीना वकील रैस्पो0।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक–15.10.2024

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2022 प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 21.03.2023 अंतिम डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध शेष रैस्पो0/प्रतिवादीगण एवं अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने पर आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 01.11.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार सरमथुरा से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं तहसीलदार सरमथुरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 21.03.2023 को अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा प्रस्तुती के बाद चार–पॉच तारीख पेशीयों में ही दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया। यह है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के किसी सम्मन का निर्वहन नहीं हुआ एवं ना ही उन पर कोई नोटिस तामील हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मनो पर चस्पांदगी की रिपोर्ट है। जबकि न्यायालय से सम्मन के चस्पांदगी के कोई आदेश ही नहीं थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है। विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिअनुरूप नहीं होकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की गयी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट व अन्य सभी प्रतिवादीगणो की तामील चस्पांदगी से हुयी है। जबकि न्यायालय द्वारा चस्पांदगी से तामील कराये जाने बाबत कोई आदेश नहीं थे। इसके अलावा यह भी विचारणीय है कि प्रकरण में कुल 17 प्रतिवादीगण में से किसी भी प्रतिवादीगण का घर पर उपस्थित नहीं मिलना, तामील कुनन्दा की तामील कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उक्त सम्मन/नोटिस पर सम्बन्धित तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर भी मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में इसे समुचित तामील नही माना जा सकता है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भी उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय अथवा तहसीलदार द्वारा कोई सूचना/नोटिस दिया गया हो। ऐसा भी कोई तामील शुदा नोटिस पत्रावली में शामिल नहीं है। हमने विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया, विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उन्हें तहसीलदार के लिये पृष्ठांकन किया हुआ है। विभाजन प्रस्तावो पर ना तो तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं एवं ना ही किसी पक्षकार के हस्ताक्षर है। नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार को बनाया जाना आज्ञापक है। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2022 प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 21.03.2023 अंतिम डिक्री अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करें तत्पश्चात स्वयं तहसीलदार पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए, विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें एवं उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर